

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सरकारी सेवकों का अभ्यावेदन ।


उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय के दिनांक 30 अप्रैल, 1952 के का.जा. सं. 118/52-स्था., दिनांक 20 दिसंबर, 1968 के का.जा. सं. 25/34/68-स्था. (क) तथा इस विभाग के दिनांक 01 नवंबर, 1999 के का.जा. सं. 11013/07/स्था. (क) (सुलभ संदर्भ के लिए प्रतियां संलग्न हैं) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है । इस विभाग को सेवा संबंधी मामलों पर प्रधान मंत्री/मंत्री/सचिव (कार्मिक) एवं अन्य अधिकारियों को संबोधित अनेक अभ्यावेदन सीधे सरकारी सेवकों की ओर से प्राप्त हो रहे हैं ।

2. इन अनुदेशों में यह परिकल्पना की गई है कि सेवा अधिकारों या शर्तों से संबंधित किसी मामले में कोई सरकारी सेवक जब कभी कोई दावा करना या किसी शिकायत का निपटान चाहता है, तो इस संबंध में सरकारी सेवकों के लिए अपने आसन्न उच्चाधिकारी, या कार्यालय अध्यक्ष, या मामले के निपटान हेतु सक्षम न्यूनतम स्तर के प्राधिकारी को संबोधित करना उचित होगा । हाल में यह पाया गया कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों में अभ्यावेदन के लिए निर्धारित माध्यमों की उपेक्षा कर सीधे उच्च अधिकारियों को लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । बड़े विभागों में यह समस्या और अधिक जटिल है जहां लिपिकीय स्तर का अत्यंत कनिष्ठ कर्मचारी मंत्री, प्रधान मंत्री और अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक से अधिक अभ्यावेदन देते हैं । व्यक्तिगत अभ्यावेदनों के अतिरिक्त, सेवा संघों में भी मंत्रियों और प्रधान मंत्री को व्यक्तिगत शिकायत लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी है । कुछ अभ्यावेदन प्रायः संसद सदस्यों के माध्यम से भी अग्रेषित किए जाते हैं जो सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन है ।

3. मौजूदा अनुदेशों में स्पष्ट प्रावधान है कि सेवा संबंधी मामलों पर अभ्यावेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाने चाहिए । अभ्यावेदन की अग्रिम प्रति उच्च प्राधिकारियों को भेजने के स्तर का भी उल्लेख किया गया है । गृह मंत्रालय के दिनांक 20.12.68 के का.जा. सं. 25/34/68-स्था.(क) में विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदनों को निपटाने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। यदि यह अनुमान है कि कोई अपील या याचिका दाखिल की जाने के एक माह के भीतर नहीं निपटाई जा सकती, तो संबंधित व्यक्ति को एक महीने के भीतर पावती या अंतरिम उत्तर भेजा जाना चाहिए ।

4. इस प्रकार, सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने के बारे में पर्याप्त अनुदेश उपलब्ध हैं । इसलिए पत्र-व्यवहार के लिए निर्धारित माध्यमों की उपेक्षा करते हुए उच्च प्राधिकारियों को सीधे अभ्यावेदन भेजने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेना होगा और इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (iii) के प्रावधानों के तहत ऐसा करना अनुचित आचरण माना जा सकता है ।

5. यह पुनः दुहराया जाता है कि इन अनुदेशों को सभी सरकारी सेवकों के ध्यान में लाया जाए और इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ।


(वाई. के. वधवा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग

प्रतिलिपि :

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, नई दिल्ली
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
5. सभी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन
6. लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस का.जा. को विभाग की वेब साइट (OMs→Orders→Establishment→CCS(Conduct Rules) पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।